AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी मुकाम बावड़ी

TDR बावड़ी बनाम कालूराम व अन्य

किस्म मुकदमा 131,136 LR नं. 121/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/20	वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 12/5/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	114
16/9/2020	कोविड़-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोई कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः चालू की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखाण्ड अधिकारी, बावड़ी	
17/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेश दिनांक 03/12/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
03/12/2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा बावड़ी चक द्वितीय की जमाबन्दी विक्रम संवत 2073-2076 अनुसार ख०सं० 568 व 568/1 रकबा क्रमशः 2.1358 हैक्टेयर व 2.1439 किस्म बारानी द्वितीय क्रमशः कचरूराम व प्रेमाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज है। उक्त खसरान का मौके पर बंटवारा किया हुआ है जिसमें प्रार्थीगणों के मौके पर काबिज रहे के अनुसार तरमीम नहीं करके राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत तरमीम कर दी गई।

प्रार्थी की बहस को ~~स्वीकार~~ सुना गया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर अध्ययन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बावड़ी चक द्वितीय के ख० नं० 568 व 568/1 के मध्य मार्ग की तरमीम ~~[illegible]~~ तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के बिन्दु सं. (2) अनुसार काश्तकारों के कब्जानुसार, मौका स्थिति अनुसार की जाने के आदेश तहसीलदार बावड़ी को दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट इस आदेश का अंग रहेगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:24 IST
Reason: SelfAttested